भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 556

उत्तर देने की तारीख 06 फरवरी, 2024
17 माघ, 1945 (शक)

नए स्टेडियमों का निर्माण

556. श्रीमती केशरी देवी पटेल :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने तथा युवाओं में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा और निर्मित स्टेडियमों की संख्या का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित नए स्टेडियमों के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नए स्टेडियमों के निर्माण और मौजूदा स्टेडियमों के नवीकरण के लिए निधियां आवंटित की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान योजनाओं और परियोजनाओं का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना और अन्य सुविधाओं के निर्माण सहित खेल के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है । केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है । युवा कार्यकम और खेल मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करता है :

(i) “खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम” स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन ।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के संवर्धन सहित खेल स्कीमों के अंतर्गत आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय (02.02.2024 तक)
1	2018-19	1381.52	1297.38
2	2019-20	2000.00	1989.39
3	2020-21	1313.40	1304.12
4	2021-22	1993.00	1748.76
5	2022-23	1907.69	1879.99
6	2023-24	2380.86	1696.80

(ग) से (च) : खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के तहत यह मंत्रालय देशभर में बुनियादी खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत सरकार देशभर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है ।

इस मंत्रालय में धनराशि स्कीम-वार आवंटित की जाती है, राज्य-वार नहीं । अब तक, इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की 325 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है । देशभर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत संस्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है ।

(छ) उपर्युक्त (क) के अनुसार ।

*****